



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092023-248862
CG-DL-E-21092023-248862

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226]
No. 226]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 20, 2023/भाद्र 29, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 20, 2023/BHADRA 29, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितंबर, 2023

मामला सं. ए डी (ओआई) -10/2023

विषय: चीन जन.गण., के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "स्टेनलैस स्टील के वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क और अन्य वैक्यूम वेसल्स" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 06/10/2023-डीजीटीआर—1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मै. प्लासेरो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "स्टेनलैस स्टील के वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क और अन्य वैक्यूम वेसल्स" (जिसे यहां आगे "वैक्यूम फ्लास्क" या "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" या "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक ने दावा किया है कि चीन के उत्पादक देश में उत्पाद का पाटन कर रहे हैं जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और आगे क्षति का खतरा बना हुआ है। आवेदक ने चीन जन.गण., के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क या स्टेनलेस स्टील के अन्य वेसल्स" है। पीयूसी के दायरे में फ्लास्क, कप, बोतलें, केतली, कैराफे और डिस्पेंसर शामिल हैं। स्टेनलेस स्टील के अन्य बर्तन जैसे कैसरोल और अन्य वैक्यूम खाद्य कंटेनर जैसे लंच बॉक्स/टिफिन, आइस बकेट और बॉक्सेस आदि पीयूसी के दायरे से बाहर आते हैं।
4. वैक्यूम फ्लास्क का प्रयोग पर्याप्त समय के लिए तरल पदार्थों के तापमान को बनाए रखने के लिए होता है। फ्लास्क की बाँड़ी दो बॉल से निर्मित होती है जिनके बीच में वैक्यूम होता है जो एक इंसुलेटर या उष्मा के गैर सूचालक के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार, तरल पदार्थ के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। वैक्यूम फ्लास्क का प्रयोग लंबी समयावधि के लिए तरल पदार्थों को गरम या ठंडा रखने के लिए होता है।
5. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 96 के अंतर्गत सीमाशुल्क उप-शीर्षो 96170011 तथा 96170012 के अंतर्गत आता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
6. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित पीसीएन का प्रस्ताव किया है :
- (क) आउटर स्टील वाल का ग्रेड - 200/300/400 श्रृंखला
(ख) इनर स्टील वाल का ग्रेड - 200/300/400 श्रृंखला
7. हितबद्ध पक्षकारों का इस जांच शुरुआत की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तावित पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां/सुझाव प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

ख. समान वस्तु

8. आवेदक ने बताया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा संबद्ध वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु के उपभोक्ता संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को संबद्ध देश से आयात किए जा रहे उत्पाद की "समान वस्तु" के रूप में माना गया है।

ग. संबद्ध देश

9. आवेदक ने इस जांच के प्रयोजनार्थ संबद्ध देश के रूप में चीन जन.गण. का प्रस्ताव किया है।

घ. जांच की अवधि(पीओआई)

10. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक है। क्षति जांच अवधि में 2019-20, 2020-21, 2021-2022, और जांच की अवधि शामिल होगी।

ड. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

11. यह आवेदक मै. प्लेसेरो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (पैक्सपो) द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का न तो आयात किया है और नहीं वह संबद्ध देश से किसी भी निर्यातक या उत्पादक या भारत में किसी आयातक से संबंधित है।
12. आवेदक ने ज्ञात घरेलू उत्पादकों, जिनके बारे में आवेदक को जानकारी है, के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं। तथापि, एम एस एम ई होने के नाते उसने दावा किया है कि उनके बारे में काफी सीमित जानकारी उपलब्ध है। प्राधिकारी मानते हैं कि इस स्तर पर आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का "एक प्रमुख हिस्सा" बनता है। इस प्रकार, आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार**क. सामान्य मूल्य**

13. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाए कि नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8(3) के अनुसार संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण तथा उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं। आवेदक ने बताया है कि यदि प्रतिवादी चीनी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित है तो सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए।
14. आवेदक ने अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में लागत या कीमत से संबंधित आंकड़ों या अन्य वैकल्पिक पद्धति का साधन इस स्तर पर उपलब्ध नहीं है। आवेदक ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों तथा बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा लाभ के लिए तर्कसंगत योग के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित किया है।

ख. निर्यात कीमत

15. आवेदक ने डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार सूचित आयातों के आधार पर सीआईएफ कीमत को अपनाया है। जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना पर विचार किया है।
16. संबद्ध देश के लिए निर्यात कीमत को समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा, और बैंक प्रभारों के लिए समायोजित किया गया है।

ग. पाटन मार्जिन

17. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

घ. क्षति तथा कारणात्मक संबंध का साक्ष्य

18. आवेदक घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने कथित पाटन आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथमदृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। पी ओ आई में संबद्ध देश से आयातों में समग्र रूप से काफी वृद्धि हुई है और सापेक्ष रूप से भी ये काफी अधिक रहे हैं। वर्ष 2021-22 से चीन के आयातों ने लागत से भी कम पर भारतीय बाजार में प्रवेश करना शुरू किया और पी ओ आई में ये घरेलू कीमतों में भारी कटौती कर रहे हैं। निविष्टि लागतों में वृद्धि और आयात कीमतों में गैर अनुपातिक रूप से कम वृद्धि, जो लागत से भी कम है, के कारण घरेलू उद्योग लाभ कमाने की स्थिति से पी ओ आई में भारी घाटा उठाने की स्थिति में आ गया है। चीन के आयात बाजार में वस्तुतः अधिकांश हिस्सा कब्जाए हुए हैं जबकि भारतीय उद्योग का हिस्सा कम है। इसके अलावा, आवेदक ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध आयातों के कारण वास्तविक क्षति के अलावा आयातों से घरेलू उद्योग को आगे और वास्तविक क्षति होने का खतरा है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति और आगे और वास्तविक क्षति के खतरे के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

19. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटन आयातों के बीच कारणात्मक संबंध को सिद्ध करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

झ. प्रक्रिया

20. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ज. सूचना प्रस्तुत करना

21. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों jd16-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in पर तथा उसकी एक प्रति adg16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
22. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी उपरोक्त पैरा 20 में उल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
25. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे डीजीटीआर की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय सीमा

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in तथा adg16-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने वाली या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

28. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
29. प्रश्नावली के उत्तर सहित-प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए- गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
30. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
31. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
32. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है।

33. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
34. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
35. यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार करते हैं तो वह ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।
- ड. हितबद्ध पक्षकारों के बीच उत्तर/अनुरोध शेयर करना**
36. हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश भेज दें।
- ढ. असहयोग**
37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2023

[Case No. AD(OI)- 10/2023]

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Vacuum Insulated Flask or other Vessels of Stainless Steel” originating in or exported from China PR.

F. No. 6/10/2023-DGTR—1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Rules” or the “Anti-dumping Rules”), M/s Placero International Private Limited (hereinafter referred to as “applicant” or “domestic industry”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) for the imposition of anti-dumping duty on imports of “vacuum insulated flask or other vessels of stainless steel” (hereinafter referred to as “vacuum flask” or the “product under consideration” or “PUC” or the “subject goods”), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).

2. The applicant has claimed that the Chinese producers are resorting to dumping the product in the country, which is causing material injury to the domestic industry and is posing a threat of further injury. The applicant has requested the imposition of an anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from China PR.

A. Product Under Consideration (PUC)

3. The product under consideration in the present investigation is “vacuum insulated flask or other vessels of stainless steel”. The scope of the PUC includes flasks, cups, bottles, kettle, carafe, and dispensers. The other Vessels of Stainless like casseroles and other vacuum food containers like lunch boxes/tiffins, ice buckets and boxes, etc. fall outside the scope of the PUC.

4. Vacuum Flasks are used to maintain the temperature of liquids for a considerable amount of time. The body of the flask is made up of two walls with a vacuum between them which acts as an insulator or

non-conductor of heat thereby helping maintain the temperature of the liquid. Vacuum flasks are used to keep liquids hot or cold for long periods of time.

5. The product under consideration falls under Chapter 96 under customs sub-headings 96170011 and 96170012 of the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
6. The domestic industry has proposed the following PCNs:
 - a. grade of outer steel wall – 200/300/400 series
 - b. grade of inner steel wall – 200/300/400 series
7. The interested parties are advised to furnish their comments/ suggestions on the proposed PCN methodology within 30 days from the date of initiation of this investigation.

B. Like Article

8. The applicant has stated that there is no known difference between the product produced by the domestic industry and the one exported from the subject country. The article produced by the applicant and imported from the subject country are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. The applicant has claimed that consumers of the subject goods are using the subject goods and the article manufactured by the applicant interchangeably. Thus, for the purposes of the present investigation, the article produced by the applicant has been considered as a “like article” to the product being imported from the subject country.

C. Subject Country

9. The applicant has proposed China PR as the subject country for the purpose of this investigation.

D. Period of Investigation (POI)

10. The period of investigation for the purpose of the present investigation is from 1st April 2022 to 31st March 2023. The injury investigation period will cover the periods 2019-20, 2020-21, 2021-2022, and the period of investigation.

E. Domestic Industry and Standing

11. The application has been filed by M/s Placero International Private Limited (Pexpo). The applicant has certified that it has neither imported the subject goods from the subject country nor is it related to any exporter or producer from the subject country or importers in India.
12. The applicant has submitted details of the known domestic producers that the applicant is aware of. However, being an MSME it has been claimed that very limited information is available to them. The Authority considers that at this stage the production by the applicant constitutes “a major proportion” of total Indian production. Thus, the applicant constitutes an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and the application satisfies the requirements of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

F. Basis of alleged dumping

a. Normal Value

13. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The applicant has claimed that the producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms of Para 8(3) of Annexure I of the Rules with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of para 7 and 8 of Annexure I to the Rules.

14. The applicant has submitted that the data relating to cost or price in a market economy third country or recourse to other alternative methods is not available at this stage. The applicant has constructed the normal value based on the best estimates of the cost of production in India as per the best information available with reasonable addition for selling, general & administrative expenses, and profits.

b. Export Price

15. The applicant has adopted the CIF price based on imports reported as per DGCI&S published data. The Authority has for the purpose of initiation, considered the information provided by the applicant.

16. The export price for the subject country has been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight, and bank charges.

c. Dumping Margin

17. The normal value and export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is not only above the *de-minimis* level but also significant. There is sufficient *prima facie* evidence that the subject goods from the subject country are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

G. Evidence of Injury and Causal link

18. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the applicant domestic industry. The applicant has provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry because of the alleged dumped imports. The imports from the subject country have increased significantly in the POI in absolute terms and have been significant in relative terms. Since 2021-22, Chinese imports started to enter the Indian market even below cost and are significantly undercutting domestic industry's prices in the POI. Due to an increase in input costs and a disproportionately lower increase in import prices, which is even below cost, the domestic industry went from a state of earning profit to facing significant losses in the POI. Chinese imports are *de-facto* commanding a predominant share in the market while the Indian industry is in the minority. Moreover, the applicant has additionally claimed that besides the subject imports causing material injury, the imports also threaten further material injury to the domestic industry. There is sufficient *prima facie* evidence of material injury and the threat of further material injury to the domestic industry by dumped imports of the subject goods from the subject country.

H. Initiation of anti-dumping investigation

19. On the basis of the duly substantiated written application filed by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant, concerning the dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. Procedure

20. The principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

J. Submission of Information

21. All communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses jd16-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in, with a copy to adg16-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.

22. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

23. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below on the email addresses mentioned in Para 21 above.
24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
25. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the DGTR, i.e., <https://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

K. Time Limit

26. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses dd15-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in, and adg16-dgtr@gov.in within thirty (30) days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

L. Submission of information on a confidential basis

28. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
29. The parties making any submission (including appendices/annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
30. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
31. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
32. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to a summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.
33. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
35. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. Sharing of responses/submissions amongst interested parties

36. A list of interested parties will be uploaded on the DGTR website along with a request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not be accessible physically.

N. Non-cooperation

37. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority